झारखण्ड सरकार

कार्यालय
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(विकास शाखा)
पुनः नीलामी सूचना

दुमका जिला अन्तर्गत दुमका प्रखंड में लखीकुण्डी स्थित सिद्धु–कान्हो शौर्य स्मारक पार्क में जिला योजना अनाबद्ध निधि से नवनिर्मित 06 अद्द कियोस्क का आवंटन खुले नीलामी के माध्यम से दिनांक 04.10.2016, 15.10.2016 एवं 28.10.2016 को अपराह्न 01:00 बजे तक आवेदन–पत्र आमंत्रित की गई थी। उक्त तीनों तिथियों को नीलामी के लिये आवेदन–पत्र अप्राप्त रहने के कारण पुनः नीलामी हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित की जाती है। **पूर्व में उल्लेखित प्रावधान जमानत राशि को समाप्त कर दिया गया है।** सभी इच्छुक निविदादाता अपनी निविदा प्रति दुकान (कियोस्क) प्रति माह मासिक भाड़ा को आधार मानकर समर्पित करेंगे।

क्र0 सं0	दुकानों की विवरणी	दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्रफल	दुकानों की क्रम संख्या
1	लखीकुण्डी स्थित सिद्धो कान्हो शौर्य स्मारक पार्क में निर्मित कियोस्क।	01 से 06	08'X 10'	01 से 06

नोट :– 1. कियोस्क का आवंटन हेतु आवेदन–पत्र जिला विकास शाखा, दुमका में दिनांक 25.11.2016 को 01:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में जमा किया जा सकेगा एवं उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न जिला निविदा निस्तार समिति के समक्ष खोला जायेगा।

2. एक आवेदक एक ही कियोस्क के लिये आवेदन दे सकता है।

3. तकनीकी बीड को एक लिफाफे में तथा वित्तीय बीड को दुसरे लिफाफे में रखकर दोनों को तीसरे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे के ऊपर **"लखीकुण्डी स्थित सिद्धो कान्हो शौर्य स्मारक पार्क में 06 (छः) अद्द कियोस्क की नीलामी"** लिखकर आवेदन करना होगा।

4. कियोस्क आवंटन से संबंधित विस्तृत जानकारी/शर्तें जिला विकास शाखा, दुमका के सूचना पटट एवं www.dumka.nic.in में देखा जा सकता है।

ह0 –
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक 1190/**वि0** **दुमका, दिनांक** 18.11.2016

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि नीलामी संबंधी सूचना का प्रकाशन जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, उपायुक्त की गोपनीय शाखा, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

निविदा की शर्ते :–

1. आवेदक को निवासी प्रमाण–पत्र, फोटो पहचान–पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि) जमा करना होगा। एक कियोस्क के लिए एक से अधिक आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर खुले डाक के माध्यम से उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में कियोस्क आवंटित किया जायेगा।
2. खुले डाक में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में कियोस्क आवंटित किया जायेगा।
3. एक कियोस्क के लिए एक ही आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जमानत राशि का तय जिला निविदा निस्तार समिति द्वारा किया जायेगा।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक मूल्य/जिला निविदा निस्तार समिति द्वारा तय की गई जमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से) तीन दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दी जायेगी।
5. कियोस्क प्राप्तकर्त्ता के द्वारा कियोस्क को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देना एवं हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।
6. कियोस्क में किस–किस सामान का दुकान लगाना है उसका निर्णय जिला निविदा निस्तार समिति द्वारा किया जायेगा।
7. कियोस्क के संरचना में किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्त्तन/निर्माण नहीं किया जायेगा। कियोस्क में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ण मरम्मति दुकानदार द्वारा किया जायेगा।
8. यदि कियोस्कधारक किसी कारणवश दुकान छोड़ते है तो वैसे स्थिति में कियोस्कधारक को तीन माह पहले सूचना देना होगा तथा उपायुक्त, दुमका से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् जमा की गई जमानत राशि ही मूल में वापसी की जायेगी।
9. किसी भी परिस्थिति में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, शराबखोरी, महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार एवं जुएबाजी पार्क के अन्दर तथा पार्क के आस–पास बर्दाशत नहीं किया जायेगा। इन घटनाओं के घटने की स्थिति में यदि यह पाया जायेगा कि कियोस्क संचालक का इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी है तो इन्हें तुरन्त कियोस्क के संचालन के दायित्व से मुक्त करते हुए इनके द्वारा जमा की गई डाक की राशि/जमानत राशि जब्त किया जायेगा तथा इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पार्क खुलने की अवधि 09:00 बजे पूर्वा0 से 09:00 बजे अप0 तक रहेगा।
10. पार्क के संचालन पर सम्पूर्ण वरीय नियंत्रण जिला स्तरीय पार्क संचालन समिति का रहेगा जो निम्न प्रकार रहेगा 1. अध्यक्ष–उपायुक्त, दुमका, 2. पुलिस अधीक्षक, दुमका–सदस्य, 3. उपाध्यक्ष–उप विकास आयुक्त, दुमका, 4. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका, 5. जिला उद्यान पदाधिकारी, दुमका, 6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुमका 7. कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ती प्रमंडल, दुमका, 8. कार्य0अभि0, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यप्रमंडल, दुमका 9. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका 10. पार्क संचालक– सदस्य एवं 11. जिला योजना पदाधिकारी, दुमका सदस्य सचिव होंगे।
11. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
12. निविदा की शर्ते जिला के वेबसाइट (www.dumka.nic.in) एवं जिला विकास शाखा, दुमका में उपलब्ध है।

उपायुक्त,
दुमका।